

प्रशासकीय आदेश संख्या: ४२ / 2025 ई० (जौनपुर जजशिप)

दिनांक: जुलाई 14, 2025

सूचना

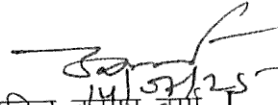
उ०प्र० सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली 2021 के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर के मध्यस्थता एवं सुलह केन्द्र में मध्यस्थों के पैनल हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों से 04 (चार) पदों हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं—

1. ऐसे अधिवक्ता जिनके पास न्यायालय में कार्य का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो;
2. सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश;
3. ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ, जिनके पास अपने अपने क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र से सुपरिचित हों;

आवेदकों को एक उपक्रम (अण्डर टेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि वे भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थता प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

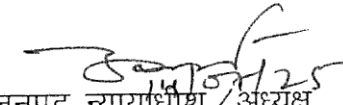
प्रत्येक पैनल में सम्मिलित मध्यस्थ की पदावधि पैनल बनाये जाने की दिनांक से तीन वर्ष के लिए होगी।

आवेदक अपने आवेदन पत्र समस्त प्रपत्रों सहित दिनांक 25.07.2025 की सांय 05:00 बजे तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के उपरान्त प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।


अनिल कुमार वर्मा-I
जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जौनपुर।

प्रतिलिपि:—

- 01—जिलाधिकारी जौनपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि कलेक्ट्रेट व अधीनस्थ तहसीलों के नोटिस बोर्ड पर उक्त विज्ञप्ति को चस्पा कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- ✓ 02—नोडल अधिकारी कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय जौनपुर को उक्त विज्ञप्ति व आवेदन का प्रारूप जनपद न्यायालय जौनपुर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 03—अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन जनपद न्यायालय जौनपुर को बार के नोटिस बोर्ड पर पर चस्पा कराये जाने हेतु।
- 04—केन्द्रीय नाजिर जनपद न्यायालय जौनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह विज्ञप्ति को जनपद न्यायालय जौनपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये।


जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जौनपुर।

अनुसूची--एक
मध्यस्थता और सुलह केन्द्र
(जिला)

(मध्यस्थ के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन)

1. नाम:
 2. पिता का नाम:
 3. पता:
(क) कार्यालय:
(ख) निवास:
 4. दूरभाष संख्या:
(क) कार्यालय:
(ख) निवास:
 5. मोबाइल संख्या:
(क) कार्यालय:
(ख) निवास:
 6. ई-मेल आईडी:
 7. शैक्षणिक अर्हताएं:
 8. व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभव:
 9. तकनीकी अनुभव, यदि कोई हो:
 10. मध्यस्थता में विशेष अर्हता या अनुभव, यदि कोई हो:
 11. बार काउंसिल नामांकन संख्या और दिनांक:
(केवल अधिवक्ताओं के लिए लागू)
 12. क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है?
 13. क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है?
 14. क्या आपको दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या विकृतचित्त का होना घोषित किया गया है?
 15. क्या आपके विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी हैं, या क्या आपको ऐसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दण्डित किया गया है? :
मैं..... एतद्वारा निवेदन करता हूँ कि मैं..... न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ और उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के नियम 3 के अधीन पैनल में रखे जाने के लिये अपनी सहमति देता हूँ। यह आश्वासन देता हूँ कि मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम 22 में यथा विहित आचारों का अनुसरण करूंगा। मैं, भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का वचन भी देता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
- पूर्ण हस्ताक्षर:
दिनांक:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।